

पत्रांकः—३-ए-२-वे०पु०-१८/२००९(अंश)–५१५२-वि०

बिहार सरकार  
वित्त विभाग ।

प्रेषक,

प्रभात शंकर,  
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार (लै० एवं हक०),  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक:- २१/०५/२०१३

विषयः— ए०सी०पी० के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मियों को एम०ए०सी०पी०एस०, २०१० के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए कालावधि के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/कार्यालयों और संवा संघों द्वारा इस स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है कि ए०सी०पी० नियमावली, २००३ के तहत १२ वर्ष की सेवा के उपरांत प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मी को एम०ए०सी०पी०एस०, २०१० के आलोक में दिनांक ०१/०१/२००९ या उसके बाद की तिथियों में द्वितीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन दिया जाना हो, तो उसकी कालावधि क्या होगी ?

२. वित्त विभागीय पत्रांक १५३३८, दिनांक २९/१०/१२ के द्वारा यह निर्णय प्रसारित है कि १२ वर्ष पर प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मी को एम०ए०सी०पी०एस० के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन २२ (१२+१०) वर्षों की सेवा पूरी होने पर प्रदान की जाएगी ।

३. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से वित्त विभाग के पत्रांक-१९१७, दिनांक-२७/०२/२०१३ के द्वारा उपरी कंडिका-२ के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रावधान के सूचना की अपेक्षा की गयी । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के Dy. No.- ३०९०९/२०१३-स्थान (डी), दिनांक-०८/०४/२०१३ के द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय प्रावधान की सूचना प्राप्त हुई है ।

४. केन्द्रीय व्यवस्था के आलोक में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिन्हें १२ वर्ष की सेवा पूरी होने पर दिनांक-०१/०१/२००९ या उसके बाद की तिथियों में एम०ए०सी०पी०एस०, २०१० के आलोक में द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिया जाना हो, उन्हें

प्रथम नियुक्ति की तिथि से लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर 20वें वर्ष में द्वितीय वित्तीय उन्नयन देय तिथि से प्रदान किया जाएगा। पूर्व के सभी परामर्श/निदेश इस हद तक स्वतः संशोधित हो जाएंगे।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

₹0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3-ए-2-वे०पु०-18/2009(अंश)-5152-वि० पटना, दिनांक:-21/05/2013

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग)/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3-ए-2-वे०पु०-18/2009(अंश)-5152-वि० पटना, दिनांक:-21/05/2013

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3-ए-2-वे०पु०-18/2009(अंश)-5152-वि० पटना, दिनांक:-21/05/2013

प्रतिलिपि:-प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3-ए-2-वे०पु०-18/2009(अंश)-5152-वि० पटना, दिनांक:-21/05/2013

प्रतिलिपि:-सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ 21-5-13

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग।